कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(दूरभाष/फैक्स सं०–05942&235452 e-mail:- cf_skumaon@rediffmail.com)

पत्रांकः–1739 /12-1 **दिनांकः नैनीतालः,** 24 **,अप्रैल, 2026.**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जागर से भागर देवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 11625/2025)

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल का पत्रांक 3635/12–1 दिनांक 17.04.2026

महोदय,

विषयगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के उक्त सन्दर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

S.N	Objection	Reply
1	It is seen that the State Government has submitted the reply to this office EDS dated 26.07.2016 after a period of 4 years vide letter refereed above. State Govt may submitting reason of delay in submitting the reply.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त आपत्ति दिनांक 26-07-2016 जो इस कार्यालय को दिनांक 31-08-2016 को प्राप्त हुयी, का निराकरण कर दिनांक 25-10-2016 को प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को प्रेषित कर लिया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल से पुनः दिनांक 18-01-2017 को प्रकरण पुनः आपत्तियों में प्राप्त हुआ। आपत्तियों के निराकरण हेतु कतिपय छूट गये ग्रामों से वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम स्तरीय अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। किन्तु कतिपय ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग हेतु भूमि दिये जाने में विवाद किया गया। विभाग द्वारा विवाद सुलझाने के प्रयास किये जाने के उपरान्त दिनांक 25.02.2019 को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये। अन्य स्तरों से भी सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात संकलित सूचना तैयार कर दिनांक 10.08.2020 को आपत्तियों का निराकरण किया जा सका। तद्उपरान्त भारत सरकार के पत्र सं0 08 बी0/यू0सी0पी0/09/156/2016/एफ0सी0/1378 दिनांक 29-09-2020 से 06 बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आपत्तियों के निराकरण हेतु डिजिटल मानचित्र तैयार करवाकर इस कार्यालय के पत्र सं0 937/7सी0 दिनांक 12-04-2022 से हस्ताक्षर हेतु वन क्षेत्राधिकारी नथुवाखान को प्रेषित किये गये थे। प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के हस्ताक्षरों उपरान्त दिनांक 03-05-2024 से इस कार्यालय को प्राप्त हुई। वर्तमान में समस्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2.	Digital map submitted is not countersigned by DFO, State Goveminent may submit/upload the digital map duly countersigned by DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि डिजिटल मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन पार्ट 1 के सैक्शन सी0 मे अपलोड कर लिये गये है एवं हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित है।
3.	As per NPV sheet rate is charged for dense forest in open forest area, which may be corrected.	एन0पी0वी0 की संशोधन धनराशि का आंकलन कर निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4.	Tree enumeration list of 23 trees has	प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना के

3.	As per NPV sheet rate is charged for dense forest in open forest area, which may be corrected.	एन0पी0वी0 की संशोधन धनराशि का आंकलन कर निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4.	Tree enumeration list of 23 trees has been uploaded but entry of 21 trees has been made at para 4 in Part II. State Govt. may clatify this discrepancy and submit/ upload correct information in this regard.	प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में 23 वृक्ष एवं नाप भूमि में कुल 364 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।
5.	State Government may check the feasibility of the transplantation of the tree falling in 0-10 cm and 10-20 cm dia class as mentioned by CF in his SIR.	पर्वतीय वन क्षेत्रों में 0–10 सेमी एवं 10–20 सेमी व्यास वर्ग के वृक्षों/पौधों का प्रत्यारोपण तकनीकी, पारिस्थितिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इस व्यास वर्ग के पौधों की जड़ प्रणाली पूर्ण विकसित नहीं होती है। प्रत्यारोपण के दौरान जड़ों को क्षति पहुँचती है। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल एवं सीमित पहुँच के कारण पौधों को सुरक्षित रूप से उखाड़ना एवं स्थानान्तरित करना अत्यन्त कठिन एवं जोखिमपूर्ण होता है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्यारोपण की प्रक्रिया (उखाड़ना, परिवहन, पुनःरोपण) अत्यधिक खर्चीली होती है। साथ ही छोटे पौधे तापमान, नमी एवं हवा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते है। स्थान परिवर्तन के बाद विशेष रूप से कठिन पर्वतीय पर्यावरण में आसानी से अनुकूलित नहीं हो पाते, जिससे इनके जीवित रहने की सम्भावना अत्यन्त कम हो जाती हैं।
6.	The state government should also upload the status of the village to be benefited and the available road network on the KML file mentioned in online paragraph C (ii) (b), part 1.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल पार्ट–1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल।

पत्रांक 1739 /(1)दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ **प्रेषित।**

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल।